**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1465**

**01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए**

**निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा गोला-बारूद बनाने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)**

**1465. डॉ. अनिल कुमार साहनी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा गोला-बारूद बनाने के लिए मार्च, 2017 में प्रस्तावों (आरएफपी) हेतु आठ अनुरोध जारी किए थे;
2. यदि हां, तो आरएफपी के लिए प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए जाने की तारीख क्या है और अब तक प्रत्युत्तर प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं;
3. क्या यह सच है कि मंत्रालय संभावित भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से बोली-पूर्व बैठक होने के सात माह से अधिक समय बाद भी आरएफपी के लिए शुद्धि पत्र जारी करने में विफल रहा है; और
4. गोला-बारूद की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने और अधिग्रहण की प्रस्तावित प्रक्रिया में उद्योग द्वारा इंगित की गई बड़ी संख्या में विसंगतियों के कारण आरएफपीएस के निपटान की कार्य योजना क्या है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (घ): सरकार ने भारतीय उद्योगों द्वारा भारतीय सेना के लिए गोला-बारूद का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है । उक्त प्रस्ताव के लिए खुली निविदा इंक्वायरी के तहत प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) 25 व 27 मार्च, 2017 को जारी किया गया है ।

आरएफपी को अपलोड किए जाने के फलस्वरूप, आरएफपी के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में भारतीय उद्योग से बड़ी संख्या में प्रश्न एवं अनुरोध प्राप्त हुए हैं । 08.05.2017 को एक बोली-पूर्व बैठक का भी आयोजन किया गया है । विक्रेताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के साथ-साथ बोली-पूर्व बैठक में फीड बैक की जांच सभी पणधारियों के परामर्श से की गई है एवं आरएफपी के संबंध में एक शुद्धिपत्र हाल में ही अनुमोदित किया गया है ।

\*\*\*\*